न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 381/2024 निर्णय दिनांकः–14-07-2025
(जीसीएमएस संख्या 2024/551)

1. हरिराम पुत्र सागरमल जाति कुम्हार निवासी गांव बादनू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।
2. मेजर सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति तरवान निवासी रूपनगर तहसील हनुमानगढ।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–05–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री प्रेम मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28–05–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। चूंकि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटित की जा चुकी है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहिए अतः अपीलांट की बहस सुनी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 3 डीबीएम के मुरब्बा नम्बर 231/51 तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी बावजूद सूचना के 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित नहीं आने के कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधि...
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 29–10–24 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि की राशि भरने व उपस्थित आने का नोटिस प्रदान किये जाने के उपरांत भी अपीलांट आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं आने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 29–10–2024 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील पूगल में चक 3 डीबीएम के मुरब्बा नम्बर 231/51 तादादी 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट बावजूद सूचना के आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित नही आने के कारण अपीलांट के आवेदन पर आवंटन संबंधी कोई विचार नहीं किया जा सकता। अतः आवेदन पत्र खारिज किया जा सकता। इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली दिनांक 30–01–1999 को पेश होने के पश्चात फोटो फार्म जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 15–02–1999 को पेश होने का आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात पत्रावली नियत दिनांक को पेश नहीं होकर सीधे दिनांक 28–05–1999 को पेश हुई जिसमें अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट की मूल पत्रावली में संलग्न नोटिसों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अपीलांट को प्रेषित 2 नोटिसों की प्रति है। जिसका कहीं भी आदेशिका में कोई अंकन नहीं है तथा अपीलांट को जारी प्रथम नोटिस कार्यालय के कमांक 4524 दिनांक 20–04–1999 को जारी किया गया है जिसमें आवेदित भूमि की 35 प्रतिशत राशि सहित दिनांक 01–05–1999 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलांट को जारी द्वितीय नोटिस कार्यालय के कमांक6875 दिनांक 15–05–1999 का है। जिसमें आवेदित भूमि की 35 प्रतिशत राशि सहित दिनांक 28–05–1999 को उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त दोनों नोटिस पर किसी प्रकार की कोई तामील का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त दोनों नोटिस अपीलांट को प्राप्त हुए हो। इससे यह साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट बाद सूचना के आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु उपस्थित नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस/नोटिस तामील की सुनिश्चितता की गई हो।

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.**

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–05–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर पुनः नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 15-02-2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधि
बीकानेर